भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3293

बुधवार, 09 अगस्त, 2023 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष के क्षेत्र में एफ.डी.आई

3293. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलना चाहती है ताकि इसरो को नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान नवाचरों को बढ़ावा देने की अनुमति मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) वर्तमान में, अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार के माध्यम से "उपग्रहों की स्थापना और प्रचालन" शीर्ष के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

हाल ही में, सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति – 2023 को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें अंतरिक्ष कार्यकलापों की समग्र मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के लिए बृहत्तर भूमिका की परिकल्पना की गई है। इस नीति में अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तातंरण और अनुसंधान नवाचारों को बढ़ावा देते हुए नई प्रौद्योगिकियों, अन्वेषण मिशनों, समानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों और राष्ट्रीय हित में कार्य करने की भी परिकल्पना की गई है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने हेतु मंत्रिमंडल के निर्णय और भारतीय अंतरिक्ष नीति के अनुरूप अंतरिक्ष क्षेत्र के कार्यकलापों में गैर सरकारी कंपनियों (एन.जी.ई.) की भागादारी को सुगम बनाने के लिए विभाग एफ.डी.आई. नीति में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के साथ परामर्श कर रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

***